राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.,
"कर–भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ–7(67)जन/11/ 27014–27397 दिनांकः 14-11

1. *अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक),*
   जयपुर

2. *समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन*
   एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राज0

3. *समस्त उप पंजीयक,*
   राजस्थान

विषय : व्यावसायिक संपरिवर्तित भूमि पर राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क में 50 प्रतिशत की रियायत।

प्रसंगः उप शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग का पत्र क्रमांक प.2(39) वित्त/कर/2011 दिनांक 23.9.11

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2003 के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ.4(18)एफ.डी./टैक्स–डिवी/2001–74 दिनांक 28.7.03 एवं योजना 2010 के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ.12(28)एफ.डी./टैक्स–डिवी/2010–66 दिनांक 25.8.10 जारी कर यूनिट/ एन्टरप्राइज स्थापित करने के लिए भूमि क्रय करने या लीज पर लेने एवं उसमें किसी निर्माण विकास पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित करने पर मुद्रांक शुल्क में 50 प्रतिशत की रियायत का प्रावधान किया गया है।

निवेश प्रोत्साहन योजनाओं के अनुसार सिर्फ नये निवेश और चालू स्थापित यूनिट के नवीनीकरण विस्तारण डायवरफिकेशन के संबंध में ही मुद्रांक शुल्क में रियायत दी गई है।

उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–कोटा द्वारा पत्र क्रमांक 2217 दिनांक 23.5.11 विभाग को प्रेषित कर मैसर्स मदनानी डवलपर्स जरिये श्री किशोर मदनानी के 663.56 वर्गमीटर भूखण्ड को नगर निगम, कोटा द्वारा पत्र क्रमांक 776 दिनांक 3.2.11 द्वारा व्यावसायिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित किया गया। उक्त संपरिवर्तन के बाद महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, कोटा द्वारा भूमि पर मुद्रांक शुल्क में 50 प्रतिशत की रियायत का प्रमाण–पत्र जारी किया गया है।

व्यावसायिक उद्देश्य के लिए भूमि क्रय करने अथवा व्यावसायिक बहुमंजिला इमारतों के संबंध में उपरोक्त अधिसूचनाओं के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क में 50 प्रतिशत की रियायत दिया जाना उचित है अथवा नहीं, का विधिक परीक्षण करवाकर राज्य सरकार से मार्गदर्शन चाहा गया।

उप शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग द्वारा प्रांसगिक पत्र क्रमांक प.2(39)वित्त/कर/2011 दिनांक 23.9.11 से निम्नानुसार मार्गदर्शन प्रदान करते हुए स्थिति स्पष्ट की गई :–

1. *जब किसी उद्यम की स्थापना वस्तुओं के विनिर्माण (manufacturing) या सेवायें उपलब्ध कराने हेतु की जा रही हों, तभी भूमि की खरीद पर 50 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी से छूट देय होगी।*
2. *व्यावसायिक बहुमंजिला इमारतों जैसे मॉल्स (Malls) में वस्तुओं की ट्रेडिंग के साथ–साथ सेवायें सिनेमा या होटल/रेस्टोरेन्टस आदि गतिविधियाँ चलाई जाती हैं। ऐसे मामलों में जहाँ, वस्तुओं की ट्रेडिंग के साथ–साथ सेवायें उपलब्ध कराने की मिश्रित गतिविधियों के उद्देश्य से भूमि खरीदी जाती है, रिप्स 2010 के क्लॉज 5 के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी की छूट उपलब्ध नहीं होगी।*

अतः भविष्य में उपरोक्त विधिक मत के अनुसार ही मुद्रांक शुल्क में रियायत देते हुए दस्तावेजों का पंजीयन करें।

भवदीय,

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः एफ-7(67)जन/11/ 27398-27463 दिनांकः 14.11.

प्रतिलिपि :-

1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamps.gov.in पर अपलोड हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
7. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
8. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त भवन, जयपुर ।
9. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
10. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
11. ए.सी.पी, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
12. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
13. निजी-सचिव,महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
14. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर